न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/95/19

बउनवान

1. गिर्राज पुत्र गोरखी जाति जाट निवासी कांटबाडी तहसील कठूमर

--- सायल

बनाम

1. खूबी पुत्र गोरखी जाति जाट निवासी कांटबाडी तहसील कठूमर
2. प्रहलाद पुत्र गोरखी जाति जाट निवासी कांटबाडी तहसील कठूमर
3. रामखिलाडी पुत्र गोरखी जाति जाट निवासी कांटबाडी तहसील कठूमर
4. उप पंजीयक महोदय कठूमर जिला अलवर।

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री राधेश्याम चौधरी – अधिवक्ता सायल

आदेश

दिनांक :–21.10.2019

सायल द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 494 रकवा 0.52 हे. 504 रकवा 0.17 हे. 538 रकवा 1.66 हे. 542 रकवा 1.02 हे. 563 रकवा 0.86 हे. 567 रकवा 0.29 हे. 568 रकवा 0.43 हे. में सायल का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 562 रकवा 0.48 हे. में सायल का 13/36 हिस्सा वाके ग्राम कांटबाडी तहसील कठूमर में स्थित है जो सायल एंव गैरसायलान की मुताविक हिस्सा जमाबन्दी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर दिया। गैरसायलान ने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा न कराने के साथ साथ सायल को धमकी दी है कि हम तुझे विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करेगें। विवादित

Scanned by CamScanner

आराजी का कानुनी तकासमा कराये विना ही दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर देगें। अतः सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल संख्या 2, 3 ने हाजिर अदालत होकर मूल वाद में दिनांक 05.07.2019 को राजीनामा पेश कर तस्दीक करा दिया है। गैरसायल संख्या 1–4 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 05.08.2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल छाया प्रति नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वाके ग्राम कांटबाडी की पेश की है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज्र है। लेकिन विवादित आराजी वावत सायल एंव गैरसायलान ने घरू वंटवारा कर लिया है जो राजीनामा में दर्ज है। अतः गैरसायलान को पाबन्दं किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। मूल वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका है। इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सायल अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

21.10.19

अनिल कुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.10.2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.10.19

अनिल कुमार सिंघल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner